भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2339

सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021/22 अग्रहायण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

आगमन पर वीजा

2339. श्रीमती रंजीता कोली:

श्री सुमेधानंद सरस्वती:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने देशों के नागरिक भारत में आगमन पर वीजा के पात्र हैं;

(ख) वर्तमान में भारत में प्रत्येक वर्ष कितने लोगों को वीजा दिया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में आगमन पर पर्यटन वीजा सुविधा के अंतर्गत और अधिक देशों को शामिल करने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार इसके लिए पात्र पर्यटकों के लिए मुक्त पर्यटन वीजा की वर्तमान सीमा को बढ़ाने का है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क): गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जापान, कोरिया गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नागरिकों के लिए व्यापार, पर्यटन, चिकित्सा और सम्मेलन उद्देश्यों के लिए केवल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे नामित अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर आगमन पर वीजा की सुविधा प्रदान की गई है।

(ख): आप्रवासन ब्यूरो गृह मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत में आगमन पर वीजा प्राप्त लोगों की संख्या उत्तर में **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

(ग): इस स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है। हालांकि, पर्यटन उद्देश्यों के लिए 156 देशों के नागरिक इलेक्ट्रॉनिक वीजा (ई-वीजा) प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

(घ) और (ड.): जी नहीं, महोदय। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****

अनुबंध

आगमन पर वीजा के संबंध में दिनांक 13.12.2021 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 2339 के भाग (ख) के उत्तर में **विवरण।**

2016-2021 के दौरान भारत में आगमन पर -वीज़ा

वर्ष	**जापान**	**कोरिया गणतन्त्र**	**संयुक्त अरब अमीरात**	**कुल**
2016	6,827	-	-	6,827
2017	12,025	-	-	12,025
2018	13,053	7,735	-	20,788
2019	13,810	28,098	434	42,342
2020	2,289	4,041	340	6,670
2021	-	-	-	-
कुल	**48,004**	**39,874**	**774**	**88,652**

****